24/5

16/4/25 पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी व उनके वकील हाजिर। मूल वाद का निस्तारण हो चुका है। मूल वाद का निस्तारण हो चुका है। मूल वाद का निस्तारण होने से प्रार्थना पत्र अलग से चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं होने से मूल वाद के साथ-साथ प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिले दफ्तर हो स्वयं नम्बर से दर्ज हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata
Chouhan
Date: 2025.04.21 10:42:00 IST
Reason: SelfAttested